[2008] 9 एस. सी. आर 1129

के. सागर, एम. डी., किरण चिट फंड, मुशीराबाद

बनाम

ए. बाल रेड्डी और अन्य

(सिविल अपील सं. 1498/2005)

11 जून, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी. पी. नौलेकर, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:

क्षेत्राधिकार-चिट फंड और उसके मूल्यवान ग्राहक के बीच विवाद -उपभोक्ता मंचों का अधिकार क्षेत्र - अभिनिर्धारितः उपभोक्ता मंच के क्षेत्राधिकार का मुद्दा राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष उठाया गया था लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया-पुनरीक्षण याचिका को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी इस मुद्दे पर अपने पहले के फैसलों का उल्लेख किये बिना खारिज किया - इसलिए, मामला अधिकारिता से संबंधित इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग को प्रेषित किया गया।

वह प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष इस अपील में उठाया था वह इस बारे में था कि क्या उपभोक्ता मंचों के पास चिट फंड और इसके ग्राहक, दोनों पक्षों के बीच विवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

अपीलार्थी-चिट फंड ने तर्क दिया कि उपभोक्ता फोरम के पास किसी चिट फंड और उसके किसी मूल्यवान ग्राहक या ग्राहकों के बीच किसी विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

उत्तरदाताओं-ग्राहकों ने प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा नीचे के मंचों के समक्ष विशेष रूप से नहीं उठाया गया था और इसलिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. यह सही नहीं है जैसा कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा तर्क दिया गया है कि क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न उपभोक्ता मंचों के समक्ष नहीं उठाया गया। तथ्य यह है कि राज्य आयोग ने यह अवलोकन किया कि उसके समक्ष आये विपक्षी जाे कि चिट फंड के पदाधिकारी थे, वो उपभोक्ता नहीं थे। क्षेत्राधिकारिता से संबंधित मुद्दा अपील में पहले निर्णित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग ने भी दुर्भाग्य से इस संबंध में अपने पूर्व के किसी निर्णय का उल्लेख किये बिना पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय का विचार है कि अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे का निर्णय सबसे पहले मंच द्वारा तय होना चाहिए।

इसलिए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा राज्य आयोग के निर्णय को पुष्ट करने वाले विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है और प्रकरण को क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु राज्य आयोग को प्रति प्रेषित किया जाता है। (पैरा-7,8 और 9) [1132-डी, ई, एफ एंड जी]

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। (पैरा-9) [1133-ए]

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1498/2005

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली, के पुनरीक्षण याचिका संख्या 1227/2001 में अंतिम आदेश दिनांक 12.4.2004 से उत्पन्न।

एल. रोशमानी (मैसर्स पी. एस. एन. एंड कंपनी के लिए) अपीलार्थी के लिए।

ए. बाल रेड्डी प्रतिवादी-व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. इस अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग) को चुनौति दी गई है। राष्ट्रीय आयोग के समक्ष आंध्र प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हैदराबाद (संक्षेप में राज्य आयोग) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-06-2001 को चुनौति दी गई, जिसमें राज्य आयोग ने विपक्षी संख्या 1 (इसके बाद परिवादी के रुप में

निर्देशित) द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया। जिला उपभोक्ता मंच, द्वितीय, हैदराबाद ने परिवादी के परिवाद को खारिज कर दिया था।

2. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने के तथ्यात्मक कारण निम्नानुसार थे-

परिवादी ने चिट फण्ड कंपनी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसका प्रबंधन निदेशक विपक्षी संख्या 1 है और प्रबंधक विपक्षी संख्या 2 है। वर्तमान अपीलार्थी वर्ष 1995 में एक लाख रुपये की चिट फण्ड चला रहा था जिसमें 20 माह तक प्रति माह 5 हजार रुपये जमा कराने थे। वह एक अवार्ड बोली लगाने वाला ग्राहक था। उसे 60 हजार रुपये का भुगतान चैक द्वारा किया गया था। परिवादी ने जनवरी 1996 से 11 माह तक पैसे जमा कराये किंतु उसके बाद चूक कर दी। जब वर्तमान अपीलार्थी ने परिवादी को 79300 रुपये की मांग के संबंध में नोटिस भेजा तो परिवादी ने जवाब दिया कि चिट की राशि 70000 में से वर्तमान अपीलार्थी ने उसे केवल 60000 रुपये ही दिये और शेष 10000 रुपये बाकी है। इसके अलावा अब तक वह कुल 54700 रुपये का ब्याज भी अदा कर चुका है और वह शेष राशि 45300 किश्तों में अदा करने के लिए तैयार है। विपक्षी को 14000 रुपये अदा करने का निर्देश प्रदान करने के लिए परिवादी जिला मंच के समक्ष गया।

शिकायतकर्ता चिट फंड कंपनी में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ कौन सा विरोधी पक्ष नंबर 1 प्रबंध निदेशक और विपक्ष है साइट पार्टी नंबर

2 प्रबंधक है। वर्तमान अपीलार्थी को 5,000/- रुपये के मासिक भुगतान के साथ 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। 20 वर्ष 1995 के महीने। वह अवार्ड बोली लगाने वाले ग्राहक थे। उन्हें चेक द्वारा Rs.60,000/- का भुगतान किया गया था। शिकायतकर्ता ने गलती की जनवरी, 1996 से 11 महीने तक भुगतान करने के बाद। जब वर्तमान अपीलार्थी ने उसे एक राशि की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया Rs.79,300/-, शिकायतकर्ता ने जवाब दिया कि चिट राशि में से Rs.70,000/- में से, वर्तमान अपीलार्थी ने केवल Rs.60,000/- का भुगतान किया और Rs.10,000/- की शेष राशि उसे ब्याज के साथ देय थी और कि चूंकि वह पहले से ही Rs.54,700/- का भुगतान कर चुका है, इसलिए वह किस्तों में Rs.45,300/- की शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। शिकायतकर्ता एपी विपरीत दिशा के लिए जिला मंच का प्रचार किया उसे Rs.14,000/- का भुगतान करने के लिए संबंध।

3. यद्यपि अपीलार्थी अर्थात किरण चिट फंड ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया शिकायतकर्ता का चिट फंड में समर्पण, इसने रुख अपनाया कि अवार्ड राशि का भुगतान मेसर्स किवानीज फाइनेंस को कर दिया गया है। प्रा. लिमिटेड शिकायतकर्ता के प्राधिकरण पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता को नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दिया गया था। वहाँ शपथपत्रों का आदान-प्रदान भी था। जिला आयोग इस आधार पर आगे बढ़ा कि आयोग एक चूक करने वाला बेशकीमती अभिदाता था। इसने यह भी माना कि कोई भी लेने की गुंजाइश

नहीं थी शिकायत पर कार्रवाई। तदनुसार, शिकायत दी गई थी चूक गए। अपील में, राज्य आयोग ने यह विचार लिया कि शिकायतकर्ता को Rs.45,300/- की राशि का भुगतान किया जाना था। ले लिया। यह विचार कि क्या चिट फंड उपभोक्ता नहीं था अपील में निर्णय लिया गया। तदनुसार शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय आयोग का था देखें कि चेक में किसी ने कुछ आंकड़े जोड़े थे लेकिन यह नहीं पता चला कि यह गड़बड़ी किसने की। हालाँकि, चूंकि किसी ने शरारत की है, इसलिए उसके समक्ष पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। पुनरीक्षण याचिका को बिना किसी लागत के खारिज कर दिया गया था।

4. अपील के समर्थन में, अपील लैंट के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपभोक्ता मंचों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है एक चिट फंड और उसके बेशकीमती में से एक के बीच विवाद पर विचार करने के लिए अभिदाताओं या बेशकीमती अभिदाताओं के बीच।

5. मेसर्स द्वारकाधीश चिट्स प्रा. लि. में राष्ट्रीय आयोग। लिमिटेड और एन. आर. बनाम। 1992 के प्रथम अपील सं. 590 में संजू राम अग्रवाल 13 जनवरी, 1995 को (1986-96) राष्ट्रीय उपभोक्ता मामलों पर आयोग और उच्चतम न्यायालय 2469 (एन. एस.)के निर्णय पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी।

6. उत्तरदाता संख्या 1 के लिए विद्वान वकील जो उपस्थित हुए व्यक्तिगत रूप से यह रुख अपनाया कि इस मुद्दे को विशेष रूप से नहीं उठाया गया था नीचे दिए गए मंचों से पहले और इसलिए प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए जकड़ लिया।

7. हम पाते हैं कि मैसर्स द्वारकाधीश चिट्स का मामला (ऊपर) निपटा गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र के मुद्दे के साथ, 1986 (संक्षेप में 'अधिनियम') के बारे में कि क्या उपभोक्ता मंच अधिनियम के तहत स्थापित विवादों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है चिट फंड और उसके किसी बेशकीमती अभिदाता के बीच या ग्राहकों के बीच। यह सही नहीं है जैसा कि री द्वारा संतुष्ट है स्पष्ट संख्या 1 कि अधिकारिता का प्रश्न नहीं उठाया गया था। वास्तव में राज्य आयुक्त ने कहा कि जवाब के बाद से इससे पहले चिट फंड के पदाधिकारी नहीं थे संक्षेप में, अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है उसके समक्ष अपील में। राष्ट्रीय आयुक्त ने दुर्भाग्य से अपने पहले के निर्णय का उल्लेख नहीं किया है। पुनरीक्षण याचिका को खारिज करना।

8. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे का निर्णय मंचों द्वारा किया जाना चाहिए सबसे पहले।

9. इसलिए हम ना के विवादित आदेश को दरकिनार कर देते हैं। राज्य द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाला राष्ट्रीय आयोग आयोग, और मामले को राज्य आयोग को भेजें अधिकारिता के प्रश्न पर विचार करें।

अनावश्यक देरी से बचने के लिए पक्षकारों को राज्य आयोग के समक्ष आगे के बिना उपस्थित होने दें। ताकि सुनवाई की तारीख स्पष्ट हो सके कि हमने कोई राय व्यक्त नहीं की है मामले में। पार्टियों को प्रो करने की अनुमति है निर्णय का ताकि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके

10 . अल को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी गई है। अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अन्नु यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।